**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**संकल्प**

**पटना–15, दिनांक .....**

**विषयः– शेट्टी आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देने के संबंध में।**

शेट्टी आयोग की अनुशंसा एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्ति के समय वैसे अभ्यर्थी जिनके पास विधि में स्नातकोत्तर डिग्री है, उन्हें तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि से आगे जुलाई माह की पहली तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अनुसार 01.11.1999 के प्रभाव से विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9842 दिनांक 06.10.2009 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी हैः–

(i) सरकारी सेवक की नियुक्ति की तिथि को अनुमान्य वेतनमान/पे–बैण्ड में देय तीन वार्षिक वेतन वृद्धि की राशि के समतुल्य राशि दी जायेगी।

(ii) यह राशि पूरे सेवाकाल में स्थिर रहेगी।

(iii) अग्रिम वेतन वृद्धि पर अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

2. शेट्टी आयोग की अनुशंसा के आलोक में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति संबंधी गुजरात सरकार द्वारा निर्गत संकल्प के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में Writ Petition (Civil) No–19/2012 भारत कुमार शांति लाल ठक्कर बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार करते हुए दिनांक 01.04.2014 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"We accordingly, hold that the expression 'on or after 01.11.1999' in para-2 of the Resolution dated 14.06.2012 shall be read as on or before 01.11.1999..... This order shall also be applicable to all Judicial Officers who have been denied benefit of three advance increaments on the basis that they acquired higher educational qualification in law before 01.11.1999."

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 01.11.1999 से पूर्व के ऐसे न्यायिक सेवा के पदाधिकारी जिनके पास सेवा में नियुक्ति के समय विधि में स्नातकोत्तर डिग्री है, उन्हें भी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9842 दिनांक 06.10.2009 में निहित शर्तों के अधीन तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त हद तक विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9842 दिनांक 06.10.2009 संशोधित समझे जायेंगे।

**आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रतियाँ सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्षों/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को भेजी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(आर॰ लक्ष्मणन)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7 / मुक0–8–14 / 2014सा0प्र0..... / पटना–15, दिनांक.....

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 200 प्रतियाँ इस विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7 / मुक0–8–14 / 2014सा0प्र0 15419 / पटना–15, दिनांक 12.11.14

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, विधि विभाग / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी उप कोषागार पदाधिकारी / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.11.14.
सरकार के अपर सचिव।